**फर्द अहकाम**
**न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा**
**नियमित दीवानी प्रकरण संख्या–135/2021**
**पुराना दीवानी प्रकरण संख्या 143/2017**
**पूरणमल वगैरह बनाम जन्सी वगैरह**

| तारीख हुक्म | आदेश | आदेश की पालना बाबत् रिपोर्ट |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विपिन कुमार जैन उपस्थित। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 विजय की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर शर्मा उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी की नकल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03 को दिलाई गई। अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का जवाब पेश किया गया, जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण को दिलाई गई। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षीय सुनी गई। इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 01.08.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।<br><br>प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त उनवानी दावा साक्ष्य वादी की जिरह में नियत है। दावा हाजा की वादान्तर्गत सम्पति के सम्बन्ध में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य एक फौजदारी प्रकरण संख्या 48/2012 चला था, जिसमें प्रतिवादी पदमचन्द व विजय को न्यायालय में दोषी मानते हुए निर्णय किया था। इस निर्णय दिनांक 20.06.2013 की प्रमाणित प्रति सहवन से पेश नहीं की जा सकी जबकि यह दस्तावेज प्रतिवादीगण के इरादे व अपराध का अहम सबूत है एवं इस दावा में सुसंलग्न दस्तावेज है। अभी वादीगण व गवाहों से जिरह नहीं हुई है। प्रतिवादीगण को इस दस्तावेज के सम्बन्ध में जिरह करने का पूरा–पूरा अवसर प्राप्त होगा, इसलिए न्यायहित में इस दस्तावेज को साक्ष्य में रिकॉर्ड पर लिया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना | |

09.10.25
सिविल न्यायाधीश
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित दस्तावेज को साक्ष्य में सम्मिलित करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से जरिये अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में अंकित दस्तावेजात प्रथमतः कोई अहम दस्तावेज नहीं है जो वादीगण के दावे पर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है। फौजदारी मुकदमे का निर्णय दिनांक 20.06.2013 को हो चुका है जो वादी के पॉवर एवं पजेशन व जानकारी में दिनांक 20.06.2020 से ही है जो अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया। अब मुकदमे को देरीना करने की वजह से यह दस्तावेजात प्रस्तुत किया है जो वादी के हित में कतई नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी जान–बूझकर इस मुकदमे में देरी करना चाहते है, इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए तो हैवी से हैवी कोस्ट पर इम्पोज किये जाने की कृपा करें।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण /प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय फौजदारी प्रकरण से संबंधित है जिसका दीवानी वाद से कोई संबंध नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 20.06.2013 का है। दावा 2017 में पेश किया गया था। दावा पेश करते समय उक्त निर्णय वादी के पावर पजेशन में था परन्तु पूर्व में पेश नहीं किया गया। उक्त निर्णय किसी भी प्रकार से सुसंगत दस्तावेज नहीं है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में देरी करने के आशय से पेश किया गया है। प्रकरण काफी समय से साक्ष्यवादी में नियत चल रहा है। अंत में भारी हर्जे–खर्चे के साथ प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

29.10.25

सिविल न्यायाधीश
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

सुना गया। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिनांक 01.08.2025 को दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेज निर्णय दिनांक 20.06.2013 को रिकॉर्ड पर लिये जाने का अनुतोष चाहा है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त निर्णय अनुसार वादी पूरणमल द्वारा तहरीरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी विजय वगैरह को दोषसिद्ध घोषित किया गया था। उक्त निर्णय वादी व प्रतिवादीगण से संबंधित है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु सुसंगत एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रतीत होता है। प्रकरण अभी साक्ष्य वादी के स्तर पर नियत है। प्रकरण में अभी भी साक्ष्य प्रारंभ नहीं हुई है। यदि उक्त निर्णय को रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडना प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है बल्कि उक्त दस्तावेज के संबंध में प्रतिवादीगण को प्रतिपरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहेगा। अतः प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि उक्त निर्णय दिनांक 20.06.2013 को सुनाया गया था जबकि वादी द्वारा वाद पत्र दिनांक 18.08.2017 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया था। वाद पत्र प्रस्तुत किये जाते समय उक्त निर्णय की प्रति वादीगण के पावर व पजेशन में थी परन्तु उनके द्वारा पूर्व में उक्त निर्णय की प्रति पत्रावली में पेश नहीं की गई। उक्त निर्णय की प्रति करीब 8 वर्ष पश्चात् पत्रावली पर पेश की गई है। प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किये जाने का कोई न्यायोचित कारण दर्शित नहीं किया है, इसलिए वादीगण पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 01.08.2025 **500/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार** कर दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता हैं।

09.10.25
सिविल न्यायाधीश
... जिला स.मा. (राज.)

आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य वादी में गवाह पेश करें। कोस्ट अदायगी आगामी कार्यवाही में भाग लेने हेतु पूर्ववर्ती शर्त रहेगी। कोस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर में जमा करवाकर उसकी रसीद आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय में पेश करें। पत्रावली वास्ते पेश होने कोस्ट अदायगी रसीद/ साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 17.10.2025 को पेश हो।

09.10.25

(हेमन्त मेहरा)
सिविल न्यायाधीश
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)
सिविल न्यायाधीश, चौथ का बरवाड़ा
सवाई माधोपुर